

(6/24)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

प्रकरण संख्या 110/2024

दिनांक 04/10/24

उपनाम

अखेराम चौधरी पुत्र सुवाराम चौधरी जाति जाट निवासी जाट मौहल्ला, ग्राम मुण्डोती नरुकान,
तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

बनाम

राज्य सरकार जरिगे तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 व
धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956**

- : आदेश : -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मुण्डोती व भू.अ.नि. पाटन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से रथाई के खाता संख्या नया 16 पुराना 11 में वर्तमान में दर्ज प्रविट्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अगल दसमद के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविट्टि (अशुद्ध प्रविट्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविट्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मुण्डोती	16	अखेराम पुत्र सुवालाल हिरसा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिरसा 1/3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बान्दरशिन्दरी	अखेराम पुत्र सुवाराम हिरसा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिरसा 1/3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बान्दरशिन्दरी शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदरतुर रहेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अर्चना चौधरी)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)